



राजस्थान सरकार

प्रारूप 'घ'

(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दीसा- 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(3)2013/1681

दिनांक: 8-3-2013

**-: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश :-**

आवेदक श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दीसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 1900 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम -2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक (संस्थानिक) प्रयोजन एवं इसके अतिरिक्त 2200 वर्गमीटर भूमि का कृषि से अकृषिक (संस्थानिक प्रयोजन) के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :-	श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दीसा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूजनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. आदेश सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : या आदेश की तारीख और सं. उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित/रूपांतरण की गई थी :	प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार महवा के आदेश क्रमांक आरए/03/1207-11 दिनांक 3.11.2003 के द्वारा ख.नं. 133/2 रकबा 0.12 है० में से 0.06 है० तथा खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 है० में से 0.13 है० कुल किता 2 रकबा 0.19 है० = 1900 वर्गमीटर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक (institutional-purpose) प्रयोजनार्थ।
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :- (क) ग्राम/गा.पं./तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हेक्टेयर या वर्गमीटर में) :  टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्बन्धक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :	ग्राम रामगढ़, ग्राम पंचायत रामगढ़ तहसील महवा  खसरा नं० 133/1240 रकबा 0.12 है० एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 है० कुल किता 2 रकबा 0.51 है० = 5100 वर्गमीटर  खसरा नं० 133/1240 रकबा 0.12 है० में से 0.09 है० एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 है० में से 0.32 है० कुल किता 2 रकबा 0.51 है० में से 0.41 है० = 4100 वर्गमीटर  नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	1/-रु. प्रति वर्गमीटर से 1900/- रु०
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान सं० 191-92 दिनांक 31.10.03 द्वारा 1900/-रु०
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :	4100 वर्मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपांतरण भुल्य डीएलसी पर का 10 प्रतिशत से 30.36 रु० प्रतिवर्गमीटर की दर से 124476/-रुपये तथा निर्माणशुदा भूभाग 500 वर्मी. की शक्ति राशि 60720/- कुल 185196/-रुपये
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर्गत जमा कराई गई रकम :	1. मद 0029 भू-राजस्व : - चालान नं. दिनांक राशि रुपये T.V. No. 15352 11.10.2012 18000-00 331 22.2.2013 108476-00 2. मद पी.डी.ए. में : चालान नं. दिनांक राशि रुपये

10. चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	जमा कराई गई शास्ति चालान संख्या दिनांक राशि 331 22.2.2013 60720
11. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	-

(12) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :-

1. प्रार्थी स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदित करवायेगा।
2. प्रस्तावित भूमि एस्.एम.-35 महदा-अलवर से जाने वाली कमालपुर रोड से 160 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा पट्टेच मार्ग कमालपुर रोड से गैरमुहाना में होकर है। किन्तु इन्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
3. आवेदक को राजस्व(सुप-8)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार कुल संपरिवर्तन क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये छोड़ना होगा तथा पानी, बिजली की आधारभूत सुविधाओं की स्वयं के खर्च पर व्यवस्था करनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क के निर्धारण या गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जायेगी।

(13) उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रतः हो जायेगा।
3. अनुच्छेद-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (Institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विभिन्न अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।



क्रमांक:- आर18बी(भू0र0)(3)2013/1682-1689

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, महदा।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा कलेक्टर दीसा।
4. तहसीलदार, महदा को मय गवर्ना ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति महदा।
6. पटवारी हल्का रामगढ़ तहसील महदा।
7. आवेदक श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महदा जिला दीसा।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, दीसा  
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)  
दिनांक: 8.3.2013


जिला कलेक्टर,  
दीसा

सहायक जिला कलेक्टर,  
दीसा



325

ग्राम - राजगढ़  
 तहसील - महवा  
 जिला - दोसा  
 सेंटर - 2065  
 पैसाज = 1 H = 40 मीटर



हस्ताक्षर  
 PLS 070 प तल 58  
 13-12-12  
 31  
 4 1 11/16  
 13-12-12

C-5  
 महानिदेशक  
 पंचायत (दोसा)

### कार्यालय जिला कलक्टर, दोसा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: आर18बी(मू0रू0)(3)2013/1681-1689 दिनांक 8.3.2013 के द्वारा ग्राम रामगढ़ तहसील महवा स्थित निजी खातेवाली भूमि खसरा नम्बर 133/1240 रकबा 0.12 हे० में से आवासीय 0.06 हे० तथा कृषि भूमि 0.03 हे० एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 हे० में से आवासीय 0.13 हे० तथा कृषि भूमि 0.19 हे० कुल किता 2 रकबा 0.41 हे० = 4100 वर्गमीटर भूमि को राज० भू-राजपद(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अर्द्धमि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत संस्थानिक (Institutional Purpose) प्रयोजनार्थ आदेशक श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पञ्चर तहसील महवा जिला दोसा के पक्ष में संपान्तरण किया गया।

- 22/4/13

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 दोसा